

भारत में वनाग्नि प्रबंधन पर रिपोर्ट

संदर्भ :

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में 'भारत में वनाग्नि प्रबंधन की मजबूती' शीर्षक से कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत में वनों में आग लगने के प्रमुख कारणों में एक कारण गैर-लकड़ी उत्पाद (एनटीएफपी) प्रक्रिया का संग्रहण है।
- रिपोर्ट के अनुसार पांच राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एवं तेलंगाना के अधिकारियों ने एनटीएफपी को जंगलों में आग लगने का सबसे आम कारण बताया है।
- इनके मुताबिक कई प्रकार के गैर-लकड़ी उत्पाद आग की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं।
- हालांकि कई विशेषज्ञों की मान्यता है कि वनों की आग के लिए जनजातीय समुदायों को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। उनकी मानें तो वन विभाग के अधिकारियों की वनों में संलग्नता के कारण आग लगती है और ओडिशा इसका उदाहरण है।
- वन विभाग के हस्तक्षेपों जैसे कि तेंदु पत्ता ऑपरेशन की वजह से ओडिशा एवं कई राज्यों के वनों में आग लगी है।
- उनके मुताबिक वन अधिकार एक्ट के तहत जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने की वजह से ओडिशा के मयूरभंज एवं कंधमाल जैसे जिलों के वनों में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- इस रिपोर्ट के अनुसार दावाग्नि की विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताएं हैं और देश के 47 प्रतिशत दावाग्नि के लिए 20 जिले जिम्मेदार हैं।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वनाग्नि के लिए सामाजिक एवं प्राकृतिक, दोनों कारक जिम्मेदार हैं।
- वन अग्नि प्रबंधन के लिए बेहतर अभ्यासों तथा प्रशिक्षित कार्यबल की वकालत रिपोर्ट में की गई है।
- साथ ही मुक्त, परामर्शकारी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के रूप में 'राष्ट्रीय वन अग्नि निवारण प्रबंधन योजना' विकसित करने की आवश्यकता जताई गई है।
- स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल तकनीक की तैनाती तथा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 2018

संदर्भ :

- 17 अक्टूबर, 2018 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 58वीं है।
- वर्ष 2017 की तुलना में भारत की रैंकिंग में पांच रैंक का सुधार दर्ज किया गया है।
- विश्व आर्थिक मंच जीसीआई 4.0 नामक इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है जबकि सिंगापुर व जर्मनी क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। सूचकांक में भारत का स्कोर 62.0 है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत की रैंकिंग में उछाल की मुख्य वजह उसका विशाल बाजार आकार है जो कि चीन व अमेरिका के पश्चात तीसरे स्थान पर है।
- जी-20 देशों में रैंकिंग में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी भारत की है।
- भारत जिन मामलों में विश्व के सर्वोच्च 20 देशों में शामिल है, वे हैं-शेयरहोल्डर गवर्नेंस, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, प्रतिव्यक्ति जीडीपी (क्रय शक्ति तुल्यता व शोध संस्थानों की गुणवत्ता)।
- वही भारत जिन मामलों में विश्व के 20 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हैं, वे हैं-श्रम बल महिला भागीदारी, व्यापार प्रशुल्क व आतंकवादी घटनाएं।
- छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में भी भारत की स्थिति सही नहीं है। भारत में छात्र-शिक्षक अनुपात 35:2 है।

ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019

संदर्भ :

- वर्ष 2019 के 'व्यवसाय करने में सुगमता' रैंकिंग में भारत को 77वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है जो कि विगत वर्ष के मुकाबले 23 स्थान का उछाल है। पिछले वर्ष भारत को 100वीं रैंकिंग प्राप्त हुई थी।
- विश्व बैंक द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 को जारी इस रिपोर्ट में रैंकिंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए 10 मापदंडों में से छह मापदंडों में भारत

की रैंकिंग में सुधार आया है।

- सर्वाधिक सुधार निर्माण परमिट में हुआ है। वहीं कर भुगतान व इनसोल्वेंसी को निपटाने में भारत की स्थिति में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

जिन मानकों में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ		
मापदंड	2018	2019
निर्माण परमिट	181	52
सीमापारीय व्यापार	146	80
व्यवसाय आरंभ करना	156	137
बिजली प्राप्त करना	29	24
साख प्राप्त करना	29	22
जहाँ भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई		
संपदा पंजीकरण	154	166
कर भुगतान	119	121
इनसोल्वेंसी निपटान	103	108
विगत पाँच वर्षों में भारत की रैंकिंग		
2019	77	
2018	100	
2017	130	
2016	131	
2015	142	

- ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में सर्वोच्च रैंकिंग न्यूजीलैंड को प्राप्त हुई है जबकि सिंगापुर दूसरे स्थान पर है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018

संदर्भ :

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को विश्व के 119 देशों में 103वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है।
 ➤ वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 100वीं थी अर्थात् रैंकिंग में तीन अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिन्दु
● वेल्थिंगर लाइफ व कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा तैयार इस सूचकांक में भारत को विश्व के उन 45 देशों की श्रेणी में रखा गया है जो 'भूख की काफी गंभीर' स्थिति में है।
● भारत का स्कोर 31.1 है।
● इस सूचकांक में जिस देश का स्कोर अधिक होता है उसकी रैंकिंग उतनी ही खराब होती है।
● सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों (बेलारूस, बोस्निया-हर्जोगोविना, चिली, कोस्टारिका, क्रोएशिया इत्यादि) का स्कोर 5 है।
● हालांकि सूचकांक के मुताबिक विगत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की रैंकिंग की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह 2013-2017 के आधार संकेतकों पर आधारित है।
● भारत की रैंकिंग उसके कई पड़ोसी देशों चीन (25वीं), नेपाल (72वीं), म्यांमार (68वीं), श्रीलंका (67वीं) व बांग्लादेश (86वीं) से भी नीचे है।
● यह सूचकांक किसी देश को चार संकेतकों पर मापता है - आत्मपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कमजोरी व बाल बौनापन।
● बाल कमजोरी से तात्पर्य है पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उनकी लंबाई के हिसाब से कम वजन का होना।
● वहीं बाल बौनापन से तात्पर्य है पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उनके उम्र के हिसाब से कम लंबाई का होना।
● रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पपोषण की दर वर्ष 2000 के 18.2 प्रतिशत से कम होकर 14.8 प्रतिशत रह गया। भारत में बाल बौनापन दर 38.4 प्रतिशत है जबकि बाल मृत्यु दर 4.3 प्रतिशत है।

- इन तीनों संकेतकों में भारत में सुधार देखा गया है। परंतु बाल कमजोरी के मामले में वर्ष 2000 की तुलना में 2.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है और यह अभी 21 प्रतिशत है।
- इस सूचकांक के मुताबिक विश्व में 124 मिलियन लोग गहन भूख का सामना करते हैं जो कि दो वर्ष पहले 80 मिलियन था। इसी तरह विश्व में 151 बौने व 51 मिलियन बच्चे अल्प वजनी हैं।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रभाव

संदर्भ :

- वैश्विक आबादी में भारत का 17 प्रतिशत योगदान विश्व के जनसांख्यिकीय भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। निस्संदेह हाल के वर्षों में भारत में जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति तेजी से बदल रही है।
- अतीत में, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को केवल आबादी नियंत्रण की सफलता के रूप में देखा जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में, आबादी नियंत्रण से ध्यान कहीं और स्थानांतरित हो गया है, जैसे कि जनसंख्या लाभांश, लैंगिक समानता, मातृत्व स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि।
- शायद फोकस में बदलाव देश में होने वाले तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का भी परिणाम है। ये परिवर्तन अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कई चुनौतियां भी ला सकती है।
- 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की अवधारणा के उद्भव के साथ आर्थिक विकास बहस में जनसांख्यिकीय कारक फिर से दिखाई दिये हैं। भारत में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और आशा की जा रही है कि जनसांख्यिकीय लाभांश रूपी 'बोनस' देश को अधिक आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पर इसके साथ ही, भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की क्षमता पर गंभीर संस्थागत बाधाओं के कारण संदेह भी व्यक्त किया जाता रहा है, विशेष रूप से कामकाजी आयु वाली आबादी को उत्पादक रोजगार प्रदान करने के मामले में।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, वरन लैंगिक मुद्दे, विवाह पैटर्न इत्यादि, जो कि किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर भी पड़ता है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक दृष्टि

- इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हाल के वर्षों में आबादी वृद्धि में कमी आई है। वर्ष 1991-2001 में 21.54 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की तुलना में 2001-11 में 17.64 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि गिरावट का संकेत देती है। भारत में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या वर्ष 2000 में 3.2 से घटकर 2016 में 2.3 हो गई है।
- इस प्रकार प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर लक्ष्य के करीब है। मौजूदा प्रजनन दर परिवर्तन के आधार पर भारत इस दशक के भीतर प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार, देर से ही, भारत में जनसांख्यिकीय परिदृश्य को और अधिक आशावादी नजर से देखा जाने लगा है।
- हालांकि दूसरी ओर भारत में भी उच्चतम जनसांख्यिकीय विषमता विद्यमान है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 1.6 की प्रजनन दर की तुलना में बिहार में प्रति महिला 3.3 बच्चों में काफी भिन्नता है। देश के लगभग 98 प्रतिशत आबादी का नेतृत्व करने वाले 22 प्रमुख राज्यों में से 13 राज्यों ने 2.1 या उससे नीचे के प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर हासिल कर लिया है।
- इसके विपरीत, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, जहाँ भारत की कुल 42 प्रतिशत आबादी निवास करती है, प्रजनन दर (भारत की जनगणना, 2011) प्रतिस्थापन दर से काफी दूर है।
- हालांकि, हाल के वर्षों में संपूर्ण भारत में प्रजनन दर में कमी आई है। इस सकारात्मक परिवर्तन के बावजूद भी इस बात का अनुमान है कि इस शताब्दी में भारतीय जनसंख्या लगभग वर्ष 2060 तक बढ़ती रहेगी। इस प्रकार की विविधता का देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में प्रभाव पड़ने की संभावना है।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश

- 'जनसांख्यिकीय लाभांश' पर चर्चा के साथ जनसांख्यिकीय कारक एक बार फिर से आर्थिक विकास पर बहस के केन्द्र में आ गया है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की स्थितियों के बीच, एक आशावादी प्रकाश दिखाई देती है जहाँ कामकाजी आयु आबादी अधिकतम होगी तो आश्रित जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगी।
- हालांकि यह एक संक्रमणकालीन चरण है फिर भी इसके आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल होने की उम्मीद है। विश्व में, विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों के अनुभव यही बताते हैं कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौरान जनसांख्यिकीय बोनस की स्थिति रहती है।
- भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन निस्संदेह, नए आर्थिक अवसर के मार्ग खोल रहे हैं। कामकाजी आयु वर्ग की आबादी की तुलना में देश में 15 साल से कम आयु के लोगों की आबादी संरचना कम होगी। उदाहरण के लिए, 2001-11 की जनगणना वर्षों में 0-6 आयु वर्ग की आबादी में कमी आई है। आने वाले सालों में इस गिरावट में तेजी आने की उम्मीद है। अब देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा (60 प्रतिशत से अधिक) कार्यकारी आयु समूह वाली है।

- इस प्रकार आश्रित जनसंख्या की तुलना में श्रमिकों की संभावित संख्या अधिक है। वयस्क जनसंख्या (15 से 64 वर्ष की आयु) आगे और बढ़ने की उम्मीद है और 2035 तक कुल जनसंख्या का 68 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है।
- आर्थिक विकास के मामले में देश के लिए यह अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में उपलब्ध अवसर का लाभ उठाने के लिए देश की क्षमता पर अक्सर सवाल खड़ा किया जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि जिन राज्यों में प्रजनन दर में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, वहाँ तीव्र आर्थिक विकास का भी अनुभव किया जा रहा है।
- यह निश्चित है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाने के लिए देश में उत्पादक रोजगार सृजित करना भी जरूरी है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कई लाभों में से, देश की बढ़ती कामकाजी आबादी विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता पर ही जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति पैदा हो सकती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसांख्यिकीय परिवर्तन महिलाओं को बच्चा पैदा करने व बच्चा पालने से दूर रखता है। वे श्रम बाजार में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम होंगी जिससे देश के आर्थिक विकास के अलावा परिवार कल्याण में वृद्धि होगी।
- महिलाओं की श्रम भागीदारी आम तौर पर भारत में काफी कम रही है। तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद, महिला श्रम भागीदारी ने इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज नहीं किया है। न केवल महिलाओं की कार्य भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, इसने पिछले दो दशकों में एक अनियमित प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की है। एनएसएसओ की पांच वर्षीय रोजगार सर्वेक्षण भारत में महिला श्रम भागीदारी में रुझानों की प्रवृत्ति प्रदान करता है।
- हालांकि 2004-05 और 2009-10 के बीच तेज गिरावट दर्ज की गई। 15-59 आयु वर्ग की महिलाओं की कार्य भागीदारी दर 2004-05 में 45.4 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 34.5 हो गई थी। वैसे गिरावट की यह प्रवृत्ति तो ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में दिखी, लेकिन आलोच्य अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 12 प्रतिशत अंकों की विशेष गिरावट दर्ज की गई।
- इसी प्रकार 2011 की जनगणना के नतीजे ने 2001 और 2011 के बीच के दशक में महिलाओं के बीच कार्य भागीदारी दर में ठहराव का संकेत दिया जबकि देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन तेजी से हुआ। यहां तक कि दक्षिणी राज्यों में भी जहां प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से कम है, महिलाओं की कार्य भागीदारी काफी कम है। उदाहरण के लिए, केरल में महिलाओं के कार्य भागीदारी दर सबसे कम (2011 में 18.23 प्रतिशत) रही है।
- यह शहरी भारत के मामले में भी सच है। यद्यपि शहरी भारत में प्रजनन दर कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तुलना में वहाँ महिलाओं के कार्य भागीदारी कम है। इस प्रकार, ये प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख मार्ग भारत में लगभग अनुपस्थित है।
- यह भी तर्क दिया जाता है कि न केवल रोजगार प्रदान करने में, बल्कि नीतिगत विफलताओं के कारण मानव पूंजीगत विकास में भी गंभीर कमी है।
- भारत के राज्यों में शैक्षिक और कौशल अंतर भी चौकाने वाले हैं। इस प्रकार वर्तमान वयस्क आबादी का लक्षण यही है कि वे देश के आर्थिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पा रहे हैं।
- इसका मतलब यही है कि न केवल उत्पादक नौकरियाँ प्रदान करने के मामले में, बल्कि बढ़ती कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के लिए गुणवत्ता शिक्षा और कौशल सुनिश्चित करने के मामले में भी लंबा अंतराल है।

चुनौतियों का सामना कैसे करें?

- यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का स्वागत है, लेकिन हमेशा यह वरदान नहीं होता। आर्थिक घाटे के संदर्भ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इसके कई अन्य प्रभाव भी हैं।
- भारत में, जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी 'पुत्र वरीयता' से युक्त है जिसके कारण देश में प्रतिकूल लिंगानुपात की स्थिति उत्पन्न हुई है। जनगणना के आंकड़ों में वर्ष 1991 से 2011 के बीच बाल लिंगानुपात 945 से गिरकर 914 होना, व्यापक गिरावट की ओर संकेत करता है।
- यहाँ तक कि व्यापक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बाद भी देश में विवाह की आयु में मामूली बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम दौर के आंकड़ों के मुताबिक, विवाह की औसत आयु 2005-06 के 17.2 साल से बढ़कर 2015-16 में 19 वर्ष हो गई।
- इस सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 40 फीसदी महिला कानूनी उम्र से नीचे की उम्र में शादी कर लेती है। कम उम्र में विवाह का मतलब है कम उम्र के बच्चों का जन्म। गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की दर भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। संभवतः बच्चों के जन्म में इसी पैटर्न के कारण शिशु मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है।
- जनसांख्यिकीय विविधता भी अपनी अंतर्निहित समस्याओं का निर्माण करती है। उन राज्यों से तेजी से अकुशल श्रमिकों का प्रवासन हुआ है जहाँ जनसंख्या परिवर्तन कम हुए हैं, वनिस्पत अधिक परिवर्तन वाले राज्यों से। इसे 'प्रतिस्थापन प्रवासन' की संज्ञा दी जाती है। ऐसे प्रवासियों की दुर्दशा के कई विवरण सर्वत्र उपलब्ध हैं।
- जनसांख्यिकीय विविधता के राजनीतिक प्रभावों को अक्सर देश में जनसांख्यिकीय विषमता के कारण व्यापक प्रभावों के साथ भी चर्चा की जाती रही है। यदि देश की मौजूदा आबादी को संसद की सीटों के निर्धारण का आधार बनाया जाता है, उन्नत राज्य, मध्य भारत के राज्यों, जहाँ जन्म दर उच्च है, की तुलना में कई सीटों को खो सकते हैं।
- वैसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कोई लाभ नहीं हैं। छोटे परिवार के मानदंडों ने माता-पिता की आकांक्षा को बढ़ाया है और बच्चों को शिक्षित करना एक आदर्श बन रहा है।

- इसलिए, अगली पीढ़ी के वयस्क, वर्तमान पीढ़ी की तुलना में बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बेहतर कुशल होंगे। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में देश के लिए यह अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है। जैसा कि पहले कहा गया है, अध्ययनों ने पाया है कि तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से गुजर रहे राज्यों में तेजी से आर्थिक विकास और नीतिगत विफलताओं की कमियों के होते हुए भी, जनसांख्यिकीय परिवर्तन खुद इतना सक्षम है कि देश में आर्थिक परिवर्तनों में पर्याप्त योगदान कर सके।

निष्कर्ष :

- कहा जा सकता है कि भारत का जनसांख्यिकीय पैटर्न व्यापक आशा सृजन करने के साथ अजीब विरोधाभास भी उत्पन्न करता है।
- निःसंदेह देश के कुछ हिस्सों में उच्च जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय है। यह एक असंतुलित आर्थिक विकास पैटर्न बनाता है और हाल के अनुभव यही बताते हैं कि उत्तर राज्यों से अकुशल जनसंख्या का उन्नत दक्षिणी राज्यों की ओर प्रवासन की संभावना बढ़ेगी।
- इसलिए, और अधिक जनसांख्यिकीय लाभ, त्वरित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर निर्भर करता है। साथ ही, जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश को गई अन्य प्रमुख चुनौतियां भी पेश करता है।
- यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और लोग, इन चुनौतियों से निपटने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाएं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए मंत्री समूह गठित

मुद्दा क्या है?

- 'मी टू अभियान' में महिलाओं द्वारा अनेक लोगों पर आरोप लगाये जाने के बाद सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने संबंधी कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया है।

मंत्री समूह

- गृह मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मंत्री समूह के अन्य सदस्यों में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को शामिल किया गया है।
- गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मंत्री समूह के अध्यक्ष होंगे।

मंत्री समूह के कार्य

- मंत्री समूह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करके इन्हें अधिक मजबूत तथा प्रभावशाली बनाने के लिए तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
- मंत्री समूह कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मौजूदा कानूनों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने के बारे में सिफारिश करेगा।
- अभी महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध और निवारण) अधिनियम प्रमुख कानून है। इसकी समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अन्य घोषणाएं

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स (शी बॉक्स) बनाया है जिसमें महिलाएं कार्यस्थल पर यौन शोषण के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- इस शिकायत को तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाता है जिससे कि इस पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।
- इस शिकायत पर सुनवाई की नियमित निगरानी की भी व्यवस्था की गयी है।

मी टू अभियान क्या है?

- मी टू आंदोलन (#MeToo) यौन उत्पीड़न और हमले के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। अक्टूबर, 2017 में हॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में शामिल हार्वी वाइनस्टीन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए थे और वाइनस्टीन पर आरोप लगने के बाद दुनिया भर में #Me Too आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे।
- मी टू (#MeTooIndia) को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है।

'शी-बॉक्स' के बारे में:

- 'शी-बॉक्स' का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था, जिसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी महिला कर्मियों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है।

- जिन महिलाओं ने पहले ही यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को अपनी लिखित शिकायतें भेजी हैं वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।
- **नोट :** इस पोर्टल पर [http%@@sheboñ-nic-in@](http://@sheboñ-nic-in@) लिंक से पहुंचा जा सकता है।

निर्माण IAS